भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-229
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का अभाव

*229. **श्री मनीष जायसवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में भवनों, शौचालयों, पेयजल, बिजली और डिजिटल सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव है;
(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान इस क्षेत्र में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) आज की स्थिति के अनुसार शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का अभाव' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 229 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): 'शिक्षा' विषय संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिसंख्य स्कूल संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं। तथापि, केंद्र सरकार झारखंड सहित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्ताव और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) डेटाबेस द्वारा निर्धारित कमियों के आधार पर अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि भवनों, लड़कों/लड़कियों/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालयों, पेयजल, बिजली और डिजिटल सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के कार्यक्रमिक और वित्तीय मानकों, पूर्व में संस्वीकृत निर्माण की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलबद्धता के अनुसार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का बाद में मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है।

अनुमोदित एडब्ल्यूपीएंडबी के आधार पर, समग्र शिक्षा के तहत निधि का केंद्रीय भाग संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र या जिला-वार अलग अलग जारी न कर चार किश्तों में एक मुश्त जारी किया जाता है। इसके बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप इन निधियों का अपनी धनराशि के साथ आबंटन और उपयोग करते हैं और अनुमोदित एडब्ल्यूपीएंडबी के अनुसार, उन्हें आगे ज़िलों, प्रखंडों और स्कूलों में अंतरित करते हैं।

उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, देश भर में 14500 स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाना है, जिनमें से 22 पीएम श्री स्कूलों को हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई है। पीएम श्री योजना में कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम, अच्छे फर्नीचर के साथ पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, मार्गदर्शन और करियर परामर्श, पूरी तरह से समर्थ एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला/भौतिकी प्रयोगशाला/रसायन विज्ञान प्रयोगशाला/जीव विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि सहित 21 घटकों के साथ पीएम श्री स्कूलों को परिपूर्ण बनाने का प्रावधान है।

झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 98.09% स्कूलों में बिजली, 98.67% स्कूलों में शौचालय, 97.35% स्कूलों में हैंडपंप/नल का पानी, 99.98% स्कूलों में कक्षाएं, 48.98% स्कूलों में आईसीटी लैब और 38.62% स्कूलो□ में स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध हैं।

झारखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान समग्र शिक्षा, पीएम श्री और राज्य निधि के माध्यम से हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी ढांचे के लिए स्वीकृत और खर्च की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है–

(रुपये करोड़ में)

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	2023-24		2024-25	
	संस्वीकृत	व्यय	संस्वीकृत	व्यय
हजारीबाग	37.55	30.81	36.66	26.91

(ग): समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

<u>आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं-कार्यक्रम संबंधी मानदंड:</u>

'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत अनावर्ती / आवर्ती अनुदान निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए राज्यों को उपलब्ध है: -

(i). विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार या तो आईसीटी प्रयोगशालाओं अथवा स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन होने पर, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशालाओं पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक /एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता उपार्जित करने की छूट है। इसमें अनुमोदित स्कूलों की संख्या हेतु समानुपातिक आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, आभासी कक्षा और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

(ii). विकल्प II: इस विकल्प के तहत जो स्कूल पहले से ही आईसीटी प्रयोगशालाओं की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षा/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

<u>आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं-वित्तीय मानदंड</u>:

आईसीटी प्रयोगशालाएँ: 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपये तक का अनावर्ती अनुदान और प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान। वर्ष 2023-24 से, यह योजना स्कूल नामांकन के आधार पर चरणबद्ध वित्तपोषण भी प्रदान करती है। (संख्या<100: 2.5 लाख रुपये, संख्या 100 – 250 के बीच: 4.5 लाख रुपये, संख्या 250 – 700 के बीच: 6.4 लाख रुपये)

स्मार्ट कक्षाएँ: प्रति वर्ष प्रति स्कूल स्मार्ट कक्षा (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाएं) के लिए अनावर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये (ई सामग्री और डिजिटल संसाधनों, बिजली के शुल्क सहित) है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आईसीटी प्रयोगशालाओं/स्मार्ट कक्षाओं वाले स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं।

(घ) और (ङ): राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और प्रबंधन संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शों के माध्यम से शिक्षकों की शीघ्र भर्ती और पुनः तैनाती के मामले को जारी रखती है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में, स्वीकृत शिक्षण पदों की कुल संख्या 7,493 है, जिनमें से 3,416 पद वर्तमान में रिक्त हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में न्यायाधीन है।

*****